Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : NAGAUR

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 14-06-2021 12:45 PM

Fee Receipt No	: 202102099006424	Receipt Date	: 14/06/2021
Name	: SUBHASH CHANDER,	Document S. No.	: 202101099006249
Address	: NA ,R/O GUDHA GORJI TEH AND DISTT JHUNJHNUN ,JHUNJHNUN ,JHUNJHUNU		
Document Type	: Trust Deed		
Face Value	: ₹ 0	Evaluated Value	: ₹ 0

Ord-Registration Fee	: ₹ 0	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 0	Stamp Duty	: ₹ 0
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: **₹ 0**
		Other than Cash	: **₹ 200**
		Total Amount	: **₹ 200**

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 50373087 ₹ 200

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

श्री धन्नावंशी स्वामी महासभा ट्रस्ट

मैं राधेश्याम गोदारा पुत्र श्री पुरखादास स्वामी निवासी नागौर जो आज दिनॉक 04.08.2020 को इस प्रन्यास विलेख के माध्यम से संस्थापक के रूप में उपरोक्त ट्रस्ट की घोषणा करता हूँ। उपरोक्त ट्रस्ट के सभी न्यासियों ने सर्वसम्मति से दिनॉक 11.04.2021 को आयोजित बैठक में उपस्थित होकर मुझ राधेश्याम स्वामी को न्यास को लेख बंद करने एवं विधिवत पंजीकृत करवाने के लिए अधिकृत किया हैं। अतः सभी का धन्यवाद।

वर्तमान में भौतिक युग में सामाजिकता, सांस्कृतिक और धार्मिक अवधारणा रखने वाले श्री धन्नावंशी स्वामी समाज के सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, और शैक्षिक उत्थान के कार्यों के लिए यह ट्रस्ट सदैव संकल्पित होकर बिना किसी राग द्वेष के सभी धन्नावंशी स्वामियों के सहकार से उनके लिए कार्य करेगा।

न्यास का नाम इस न्यास का नाम श्री धन्नावंशी स्वामी महासभा ट्रस्ट है व रहेगा।

मुखयालय इस न्यास का मुख्यालय श्री धन्नावंशी स्वामी छात्रावास नागौर में रहेगा। जब तक ट्रस्ट का स्वतंत्र भवन निर्मित नहीं हो जाता है तब तक यही इसका स्थाई पता रहेगा। ट्रस्ट संपूर्ण देश के विभिन्न स्थानों पर जहां जहां भी धन्नावंशी स्वामी निवास करते हैं वहां इसकी शाखाएं इसी ट्रस्ट के अधीन खोली जा सकेगी।

उद्धेश्य :—

सामाजिक उद्देश्य

१. इस ट्रस्ट का उद्देश्य समाज की सर्वोन्मुखी उन्नति के लिए सामाजिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक एवं स्वास्थ्य संबंधी विषय धार्मिक आर्थिक एवं पर्यावरणीय प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने का रहेगा।
२. समाज में फैली हुई विभिन्न कुरीतियों को दूर करने के लिए यह ट्रस्ट विभिन्न माध्यमों से प्रयास करेगा।
३. ऐसे जरुरतमंद व्यक्ति जो अक्षम है, विकलांग है, मानसिक या शारीरिक रूप से कमजोर है या निर्धन वर्ग के हैं, उनके उत्थान व जीविकोपार्जन के लिए आर्थिक सहायता करना। उनके जीविकोपार्जन के लिए लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करेगा
४. ट्रस्ट सामाजिक उत्थान के लिए तात्कालिक समय के अनुसार वे सभी कार्य करेगा जो उस समय के लिए आवश्यक हो।
५. समाज की विधवा, परित्यक्ता या आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं की आर्थिक सहायता करना एवं उनकी देखभाल हेतु विभिन्न उपक्रम करेगा तथा समाज की सभी महिलाओ के कल्याण हेतु सभी कार्य करेगा।
६. समाज की उन्नति के लिए विभिन्न प्रकार के सम्मेलन, सभाएं, मेले, उत्सव एवं समारोह आयोजित करेगा।
७. सामाजिक कार्य के विकेंद्रीकरण हेतु जिला स्तर एवं खंड स्तर पर उप समितियों का निर्माण करेगा एवं उन्हें प्रोत्साहित करेगा अथवा पूर्व में कार्य कर रही समितियों को महासभा के अंतर्गत मार्गदर्शन हेतु घटक के रूप में समाहित करने का कार्य यह ट्रस्ट करेगा।
८. सामाजिक सुधार हेतु समय-समय पर सामूहिक विवाह के छोटे -बड़े आयोजन करवाना।
९. समाज की विभिन्न कुरीतियों के विरुद्ध विभिन्न अभियान चलाना तथा उनको सामाजिक रुप से प्रतिबंध हेतु प्रयास करना।
१०. ट्रस्ट द्वारा आवश्यक विभिन्न सरकारी अथवा निजी जनहितकारी, जनकल्याणकारी कार्यों में रूप में बढ़-चढ़कर भाग लिया जाएगा।
११. विभिन्न शहरों में धर्मशाला, समाज भवन (नयति नोहरे) के निर्माण कार्य कर उनका संचालन एवं प्रबन्धन देखना।
१२. समाज से सम्बन्धित विभिन्न साहित्यों का प्रकाशन, मासिक/ पाक्षिक/ त्रैमासिक पत्रिकाओं का प्रकाशन, समाज से सम्बन्धित विभिन्न साहित्य का सृजन एवं उपलब्ध साहित्य का संरक्षण करना।
१३. सामजिक सद्भाव हेतु पारिवारिक मिलन कार्यक्रम, उत्सवो का आयोजन, विभिन्न प्रतियोगिताएं तथा पुरस्कार वितरण समोरोह आयोजित करना।
१४. समय समय पर गोष्ठी ,सेमिनार,अधिवेशन, प्रदर्शनी और प्रतियोगिताओ का आयोजन किया जायेगा।
१५. समाज की होनहार प्रतिभाओं, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिज्ञों एवं उत्कृष्ट कार्य करने वालों, राजकीय सेवा में कर्तव्यनिष्ठ अधिकारीयों, कर्मचारियों ऐसे अन्य सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए नागरिक सम्मान, प्रशस्ति पत्र तथा पुरस्कार प्रदान करेगा।

शैक्षणिक उद्देश्य

Presentation Endorsement

आज दिनांक 14 माह 06 सन् 2021 को 12:38 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री SUBHASH CHANDER पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री LAXMAN RAM
उम्र 60 वर्ष, जाति 0-SWAMI , व्यवसाय Other
निवासी House No.:NA, Colony: R/O GUDHA GORJI TEH AND DISTT
JHUNJHNUN, Area: R/O GUDHA GORJI TEH AND DISTT
JHUNJHNUN, City: JHUNJHNUN, Pin code: 333022, District:
JHUNJHUNU, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता — हस्ताक्षर उप पंजीयक, NAGAUR

202101099006249

Trust Where No Disposition of Property

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202102099006424
दिनांक	14-06-2021
पंजीयन शुल्क ₹	0
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	0
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	0
कुल योग	200

202101099006249

Trust Where No Disposition of Property

उप पंजीयक, NAGAUR

सुरेशराम

सुरेशराम / भंवरराम जी स्वामी
अठेरा (नागौर)

परमाराम / तुलसीराम जी स्वामी
संजय कॉलोनी, प-3-नगर
नागौर

शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा सामान्य तकनीकी अथवा चिकित्सा संबंधी उच्च शिक्षा हेतु महाविद्यालय /विश्वविद्यालय की स्थापना करना।

२. शिक्षा, साहित्य,समाज एवं धर्म की दृष्टि से आवश्यक लघु तथा वृहद पुस्तकालयों की स्थापना करना।

३. समाज के आवश्यकता वाले बालक- बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था करना।

४. समाज के बालक एवं बालिकाओं को समय-समय पर छात्रवृत्ति ,पुरस्कार, आर्थिक सहायता एवं विभिन्न प्रोत्साहन के कार्यक्रम आयोजित करना।

५. पढने वाले विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण, आवास का पूर्ण प्रबंधन एवं उनको छात्रावास की समस्त सुविधाए उपलब्ध करवाना।

६. जिला अथवा राज्य स्तरीय पुरस्कार, मासिक /वार्षिक व्याख्यानमाला, विभिन्न विषयों पर कार्यशालाओं का आयोजन करना।

आर्थिक उद्देश्य

१. समान उद्देश्य वाली किसी भी संस्था अथवा ट्रस्ट को दान/ सहायता देना।

२. उद्देश्य पूर्ति के लिए अन्य संस्थानों, बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थानों से अथवा व्यक्तिगत ऋण अथवा दान लेना।

३. ट्रस्ट के उद्देश्य पूर्ति हेतु आवश्यकता अनुसार शुल्क, दान, चंदा, भौतिक संसाधन, उपहार आदि के रूप से सहायता लेना अथवा देना।

४. उपरोक्त उद्देश्य पूर्ति हेतु आवश्यकता अनुसार ट्रस्ट के लिए चल- अचल संपत्ति खरीदना अथवा बेचना, दान लेना या देना, किराए पर लेना या देना अर्थात ट्रस्ट के उद्देश्य पूर्ति हेतु स्थाई आर्थिक आय हेतु कार्यवाही करना।

५. ट्रस्ट को अपने संस्थागत कार्य एवं विभिन्न परियोजनाओं के लिए वैतनिक कर्मचारी नियुक्त करने का अधिकार होगा।

६. समाज के असहाय,वृद्ध ,महिलाओ ,बालिकाओं ,विद्यार्थियों एवं अन्य आवश्यकता वाले जनों अथवा विशेष आपदा प्रबन्धन / सहायता के लिए आकस्मिक कोष का निर्माण करना।

७. स्वयं सहायता समूहो ,महिला समूहों का गठन कर रोजगार परक प्रशिक्षण प्रदान करना।

८. समाज के वंचित ,असहाय,बेरोजगार एवं आवश्यकता वाले लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुटीर एवं लघु उद्धोगों की स्थापना करना।

९. राज्य सरकार,भारत सरकार द्वारा सांचालित विभिन्न जन उपयोगी/जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर उन योजनाओं से आम जन को लाभान्वित करने के माध्यम की भूमिका निर्वहन करना।

१०. निरोगी समाज का लक्ष्य लेकर योग,आयुर्वेद, एलोपेथी एवं समस्त चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने हेतु इनके प्रशिक्षण केंद्र अथवा शिक्षण केंद्र स्थापित करना।

धार्मिक उद्देश्य

१. ट्रस्ट द्वारा विभिन्न धार्मिक साधना केंद्रों ,देव विग्रह तथा मंदिरों की स्थापना की जाएगी साथ ही धार्मिक स्थलों के के निर्माण,जीर्णोद्धार तथा नव निर्माण के कार्य किये जायेंगे।

२. ट्रस्ट द्वारा विभिन्न विद्वानों मनीषियों के व्याख्यान ,सम्मान कार्यक्रम एवं अथवा समाज सुधारकों के प्रवचन/ आख्यान/ व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे।

३. ट्रस्ट द्वारा विभिन्न कलाओं, लोक संस्कृति, पूरा धरोहर के संरक्षण, संवर्धन एवं उद्धार के कार्य किये जायेंगे।

४. ट्रस्ट समाज की चली आ रही धार्मिक, सामाजिक परम्पराओ, व्यवस्थाओ का रक्षण पोषण करेगी तथा विस्मृत व्यवस्थांओ को पुनर्स्थापित करने का पूर्ण प्रयास करेगी।

पर्यावरण हेतु उद्देश्य

१. सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी द्वारा पर्यावरण सुरक्षा, प्रदूषण नियन्त्रण, वन्य जीव संरक्षण, जीव जन ओ के कल्याण के कार्य करना।

२. सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाना।

३. गो रक्षण एवं संवर्धन हेतु गोशालाओ एवं अनुसन्धान केन्द्रों की स्थापना करना।

(उपरोक्त सेवार्थ कार्य बिना किसी जाति अथवा धार्मिक भेदभाव के समस्त प्राणियों के लिए किए जाएंगे)

न्यास की सम्पति

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री SUBHASH CHANDER, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री LAXMAN RAM, व्यवसाय Otherजाति 0-SWAMI House No.:NA, Colony: R/O GUDHA GORJI TEH AND DISTT JHUNJHNUN, Area: R/O GUDHA GORJI TEH AND DISTT JHUNJHNUN, City: JHUNJHNUN, Pin code: 333022, District: JHUNJHUNU, State: RAJASTHAN			Executant Age : 60 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री RADHESHYAM GODARA, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री PURKHA DAS, व्यवसाय Serviceजाति 0-SWAMI House No.:108, Colony: CHANDRA NAGAR, SANJAY COLONY NAGAUR, Area: CHANDRA NAGAR, SANJAY COLONY NAGAUR, City: NAGAUR, Pin code: 341001, District: NAGAUR, State: RAJASTHAN	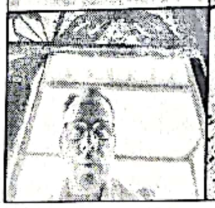		Executant Age : 50 Signature :

ने लेख्यपत्र Trust Where No Disposition of Property को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रू 0/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रू 0/- पूर्व में ---------- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री AJEET KUMAR OJHA ADVOCATE, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री OMPRAKASH OJHA जाति BRAHMAN Age: 43 Add: House No.:., Colony: ., Area: NAGAUR, City: NAGAUR, Pin code: 341001, District: NAGAUR, State: RAJASTHAN		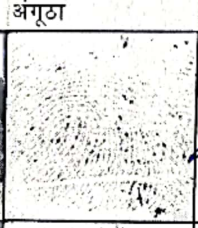	Signature
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री SURESH DAS, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री BHANWAR DAS जाति SWAMI Age: 27 Add: House No.:., Colony: ., Area: JHARISARA, City: NAGAUR, Pin code: 341001, District: NAGAUR, State: RAJASTHAN	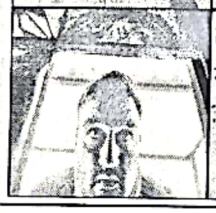		Signature

उप पंजीयक, NAGAUR

202101099006249

Trust Where No Disposition of Property

कार्यालय उप पंजीयक पंजीयन एवं मुद्रांक, नागौर

समाज हित के कार्यों के लिय तथा अपनी गतिविधियों को विधिवत संचालित करने के लिए ट्रस्ट भूमि दान में अथवा क्रय करके प्राप्त करेगा। क्रय करने का अधिकार कार्यकारिणी को होगा। भूमि व उस पर निर्मित मकानात बपराया गया समस्त समान ट्रस्ट की अचल संपति रहेगी। उक्त संपति के किसी भी भाग को विक्रय करने का अधिकार ट्रस्ट कार्यसमिति की सर्वसम्मति पर ही संभव होगा।

2. श्री धन्नावंशी स्वामी महासभा ट्रस्ट के नाम से राष्ट्रीय कृत बैंक खाते में खाता खुलवाकर भविष्य में चंदा अथवा अनुदान या चढावा से प्राप्त होने वाली राशि प्रन्यास की चल संपति रहेगी।

न्यासी

1. ट्रस्ट पंजीयन के समय सेटलर सहित 18 न्यासी होंगे। जिनमें से पूर्व दिनॉक 11.04.2021 की बैठक में सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय के अनुसार निम्न 6 पदाधिकारी तथा 12 सदस्य होंगे।

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	पद	व्यवसाय	पता
1	श्री सुभाष चंन्द्र	श्री लक्ष्मणराम	59	अध्यक्ष	नौकरी	गुढा गौडजीगुढा बावनीझूंन्झुनू
2	श्री कृष्ण गोपालवैष्णव	श्री जेठादास	53	उपाध्यक्ष	नौकरी	शास्त्री नगर जोधपुर
3	श्री गुलाबदास	श्री शंकरदास	54	उपाध्यक्ष	प्रोपर्टी	मधुबन हाउसिंग बोर्डजोधपुर
4	श्री अर्जुनदास	श्री चूनदास	55	उपाध्यक्ष	व्यवसाय	हरीयासर चुरू
5	श्री राधेश्याम गोदारा	श्रीपुरखादास	50	सचिव	नौकरी	चंन्द्र नगर संजय कॉलोनी नागौर
6	डॉघनश्याम दास	श्री लक्ष्मीनारायण	60	कोषाध्यक्ष	सेनि. डॉक्टर	नोखा मंडी बीकानेर
7	श्री भरत कुमार रलिया	श्री नरेन्द्र कुमार रलिया	48	सदस्य	नौकरी	जाखेरा डेगाना नागोर
8	श्री त्रिलोकदास	श्री मोहनदास	47	सदस्य	व्यवसाय	केशव नगर पालरोडजोधपुर
9	श्री लक्ष्मण कुमार	श्री हनुमान दास	55	सदस्य	नौकरी	श्याम पुरी कालोनी कालवाड़ रोडझोटवारा जयपुर
10	श्री जयनारायण	श्री रूपदास	57	सदस्य	नौकरी	संगम नगर बासनीफेज1 जोधपुर
11	श्री गंगादास	श्री तुलसीदास	45	सदस्य	व्यवसाय	पालरूरलजोधपुर
12	श्री प्रेमदास	श्री भोलदास	63	सदस्य	व्यवसाय	खिंयाला नागौर
13	श्री सांवरमलस्वामी	श्री मालदास	57	सदस्य	नौकरी	जेएनवीकॉलोनी बीकानेर
14	श्री महावीर स्वामी	श्री गोपालदास	48	सदस्य	व्यवसाय	थावरिया बीकानेर
15	श्री बस्तीराम	श्री टीकमदास	50	सदस्य	व्यवसाय	गांधी कॉलोनी मेडता

	श्री रघूवीर सिंह	श्री रामसुखदास	54	सदस्य	नौकरी	नागौर
	श्री नंन्दकिशोर स्वामी	श्री आर.डी. स्वामी	50	सदस्य	व्यवसाय	कलोरी चुरू रानीपाल सिक्किम
18	श्री सीतादास	श्री रूघदास	71	सदस्य	व्यवसाय	गुसांईसर बीकानेर

2. ट्रस्ट का न्यासी धन्नावंशीय मान्यताओं पर चलने वाला होगा तथा रू. 11000/– या उससे अधिक राशि प्रदान करने वाले धन्नावंशी बंधु को ट्रस्टी बनाया जायेगा। यह नियम उपरोक्त इस कार्यकारिणी के अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष सहित सभी सदस्यों पर भी लागू रहेगा। उपरोक्त राशि प्रदान करने वाले निवासियों को आजीवन न्यासी बने रहने का अधिकार होगा। न्यासी के देहावसान हो जाने पर उसका स्थान स्वत ही रिक्त हो जायेगा।क्योंकि आजीवन न्यासी से तात्पर्य उनके जीवित रहने तक ही हैं। न्यासी न्यास के सभी हितों के अनुकूल कार्य करेंगे तथा उक्त ट्रस्ट के प्रति सदैव प्रतिबद्ध रहेंगे। ट्रस्ट विरोधी गतिविधियों में संलग्न व्यक्ति या ट्रस्टी को कार्यसमिति के बहुमत के आधार पर उसे ट्रस्ट से निष्कासित किया जा सकेगा।
3. सभी न्यासी गण समय समय पर न्यास की बैठकों में भाग ले सकेंगे तथा आवश्यकता पडने पर मतदान भी कर सकेंगे।
4. न्यास के हित में बने नियम विनियमों की पालना हर ट्रस्टी के लिए आवश्यक रहेगी।
5. ट्रस्ट के विलेख पंजीयन के उपरांत रू. 11000/– या उससे अधिक की राशि ट्रस्ट को जनहित कार्य में खर्च करने के लिए प्रदान करने वाले धन्नावंशी बधु को ट्रस्टी कहा जायेगा और ट्रस्ट के रजिस्टर में उसे बतौर ट्रस्टी अंकित किया जायेगा।

न्यास प्रबंधन एवं प्रशासन

न्यास के सभी न्यासी पदाधिकारी सहित न्यासी होंगे। उपरोक्त 18 सदस्यों की कार्यकारिणी न्यास प्रबंधन एवं संचालन के लिए उतरदाई रहेगी। सभी ट्रस्टी आजीवन सदस्य रहेंगे पर 3 वर्षीय अधिवेशन यानी चुनाव के उपरांत नई कार्यकारिणी का चुनाव होगा। यह उस अवधि तक के समस्त न्यासियों के बहुमत के आधार पर होगा। इन 18 न्यासियों को भी ट्रस्टी बनने के लिए निर्धारित की गई राशि ट्रस्ट को प्रदत्त करनी होगी।

न्यास अध्यक्ष के कर्त्तव्य एवं अधिकार

1. प्रतिवर्ष न्यासियों को आमंत्रित कर उनकी बैठक बुलाई जायेगी। जिसमें वर्ष भर के सभी संभावित मुद्दे रखे जाएंगे। आवश्यकता पडने पर अध्यक्ष वर्ष में एक से अधिक बार भी बैठकें आहूत कर सकते हैं।
2. विचारणीय विषयों के अतिरिक्त विषयों पर चर्चा करने या न करने का अधिकार अध्यक्ष का रहेगा।
3. न्यास के सभी आजीवन सदस्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष कार्यकारिणी सदस्यों का बहुमत से निर्वाचन करेंगें।

अध्यक्ष न्यास का सभी समितियों उप समितियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
4. सभी आवश्यक पत्राचारों रसीदों तथा अन्य अभिलेखों पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे।

न्यास सचिव के अधिकार एवं कर्त्तव्य

1. न्यास सचिव ट्रस्ट की सभी गतिविधियों में अध्यक्ष को सहयोग करेंगे।
2. अध्यक्ष की आज्ञा से आयोजित बैठकों की व्यवस्थ करना उनके परिपत्र जारी करना न्यासियों को सूचना देने का कार्य करेंगे बैठक की मिनिट्स लिखने का जिम्मा तथा ट्रस्टियों के हस्ताक्षर करवाने का जिम्मा भी सचिव का होगा। विभिन्न परिपत्रों, पत्रों रसीदों पर हस्ताक्षर करेगा।
3. बैठक में विभिन्न कार्यों की स्वीकृति मद स्वीकृति करवाने का जिम्मा सचिव का रहेगा।
4. सचिव कोषाध्यक्ष से प्रतिवर्ष आय व्यय का लेखा तैयार करवा कर उसी सीए से ओडिट करवाएगा तथा बैंक के कार्य करेगा।
5. बैठकों में लिए गये निर्णयों को क्रियान्वित करवाएगा। बैठकों का संचालन करेगा।
6. कार्यकारिणी में बहुमत से निर्णय पारित करवाकर ट्रस्ट की धनराशि का राष्ट्रीय योजनाओं में विनियोग कर सकेगा। सारे कार्यों की निर्माण की देखरेख करेगा।
7. अध्यक्ष कोषाध्यक्ष एवं सचिव को एक बार में रू. 20000/– तक आकस्मिक राशि व्यय करने की शक्ति होगी। जिसकी पुष्टि आगामी कार्यकारिणी की बैठक में कराई जायेगी।

उपाध्यक्ष के कर्त्तव्य एवं अधिकार

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता कर सकेंगे।
2. उपाध्यक्ष को बैठक बुलाने तथा वित्तीय खर्च के अधिकार नहीं रहेंगे।

कोषाध्यक्ष के कर्त्तव्य एवं अधिकार

1. कोषाध्यक्षअध्यक्ष की आज्ञा से ट्रस्ट के आर्थिक विषयों से संबंन्धित अपनी राय रख सकेगा।
2. कोषाध्यक्ष प्रतिवर्ष आय व्यय का वार्षिक लेखा तैयार कर सीए से ऑडिट करवाएगा। वर्ष भर का हिसाब रखेगा।
3. बैंकों के लेनदेन में चेक पर अध्यक्ष सचिव के साथ कोषाध्यक्ष को भी हस्ताक्षर का अधिकार रहेगा।

कार्यकारिणी सदस्य न्यासियों के कर्त्तव्य एवं अधिकार

1. कार्यकारिणी के न्यासी ट्रस्ट द्वारा आयोजित सभी बैठकों में उपस्थित रहकर अपनी राय से अवगत कराएंगे। ट्रस्ट के सभी कार्यों में सहयोग प्रदान करेंगे।
2. कार्यकारिणी सदस्यों को किसी भी कार्य में सर्वसम्मति न होने पर अपने मतदान का अधिकार रहेगा। असहमति पर बैठक में विरोध दर्ज करा सकते हैं।
3. कार्यकारिणी सदस्यों को आय व्यय का ब्यौरा जानने का पूरा अधिकार रहेगा।

सामान्य न्यासी के अधिकार

प्रति 3 वर्ष में होने वाले अधिवेशन में सामान्य ट्रस्टी को वोट देने का अधिकार रहेगा। वह नइर कार्यकारिणी को चुनने में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता हैं। तथ वह पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्य के रूप में अपने को नामित भी कर सकता हैं।

1. ट्रस्ट के हित में समय समय पर अपने सुझाव कार्यकारिणी को दे सकता हैं।
2. न्यास के हित में बने सभी नियम विनियमों की पालना सामान्य ट्रस्टी को करनी होगी।
3. ट्रस्ट के हितों के प्रतिकूल कार्य करने वाले सामान्य ट्रस्टी को 15–15 दिन के अंतर से दो चेतावनी नोटिस के बाद उसे ट्रस्ट से हटाया जा सकता हैं। तथ उसके द्वारा ट्रस्ट को प्रदत धनराशि उसे लौटाई नहीं जाएगी। उसके लिए उसे दावा करने का अधिकार नहीं होगा।
4. न्यास की बैठक में भाग लेने अपने विचार व्यक्त करने का अधिकारी होगा।

न्यास का विधान एवं सामान्य नियम

1. न्यास में किसी भी पदाधिकारी एवं ट्रस्टी को किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ अथवा वेतन लेने का अधिकार नहीं होगा । वे सब अपनी सेवा मानद ही देंगे।
2. ट्रस्ट की चल एवं अचल संपति प्रबंध मंडल अर्थात कार्यकारिणी के अधीन रहेगी। प्रबंध मंडल का कर्त्तव्य होगा कि वह संपति को सुरक्षित रखें तथ उसमें वृद्धि का प्रयास करें।
3. न्यास द्वारा विभिन्न स्त्रोतों से संग्रहीत धनराशि अथवा दान से प्राप्त अथवा क्रय की गई संपति न्यास की होगी। उसका उपयोग विधि सम्मत रूप से ट्रस्ट कर सकेगा।
4. न्यास प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि वह ट्रस्ट संपति की वृद्धि के लिए उसका विनियोग कर सकता हैं। किंतु किन्हीं आवश्यक योजनाओं के संचालन में कटौती कर ऐसा न करें।
5. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऋण लेने व देने का अधिकार न्यास प्रबंधन को निश्चित शर्तें जो ट्रस्ट के लिए अत्यधिक लाभकारी हो पर होगा। लेकिन सामान्य ट्रस्टी ट्रस्ट के लिए ऋण नहीं ले सकेगा।
6. ट्रस्ट की राशि किसी राष्ट्रीय कृत प्रामाणिक बैंक में खाता खोलकर बचत अथवा स्थाई जमा खाते में जमा करने का अधिकार अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष का होगा। ट्रस्ट इसके लिए ट्रस्ट का पेन कार्ड भी जारी करवाएगा।
7. बैंक में रकम ट्रस्ट के अध्यक्ष सचिव तथ कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से वह किसी दशा में उपरोक्त तीनों में से किन्हीं दो के हस्ताक्षर से खाते का संचालन किया जा सकता हैं। लेनदेन में सचिव के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे।
8. न्यास की राशि एवं संपति का उपयोग न्यास की घोषणा अथवा उद्देश्य पूर्ति के लिए किया जा सकेगा।
9. न्यास के सभी न्यासी गण के मार्गदर्शन में आगे आवश्यकता अनुसार नियम विनियम तैयार किए जा सकेंगे। परंतु ट्रस्ट विलेख में अंकित मूल उद्देश्यों के वितरीत नियम नहीं बनाए जा सकेंगे।
10. न्यास के उद्देश्य एवं हितों के मद्देनजर बहुमत से न्यासी राशि व्यय करने का निर्णय कर सकेंगे। न्यास रजिस्टर में स निर्णय को अंकित कर पारित करवाया जाएगा।

वार्षिक अर्धवार्षिक अथवा त्रैमासिक बैठक न्यास प्रबंधन के आदेश पर बुलाई जा सकेगी। किसी भी बैठक में गणपूर्ति में एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी। गणपूर्ति के अभाव में बैठक स्थगित मानी जाएगी। इसलिए बैठक पुनः एक घंटा बाद आहूत की जा सकेगी। जिस में उपस्थित सदस्यों की संख्या को गणपूर्ति माना जाएगा। ट्रस्ट डीड की घोषणा नीति के अनुसरण में ही विचार विमर्श तथा निर्णय किए जा सकेंगे।

12. ट्रस्ट के अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष के निधन त्यागपत्र देने अपदस्थ करने पर न्यासियों में से चुनाव कर तथा सर्वसम्मति से नए पदाधिकारी का चुनाव किया जा सकता हैं।
13. न्यास के अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव 3 वर्षीय अधिवेशन में होगा। जिसमें प्रत्येक ट्रस्टी जिनकी संख्या ट्रस्ट रजिस्टर में अंकित है को भाग लेने का अधिकार रहेगा।
14. त्रिवर्षीय अधिवेशन की सूचना ट्रस्ट सचिव द्वारा 15 दिन पूर्व दी जायेगी। अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के उम्मीदवारों का चुनाव सर्वसम्मति से या लोकतांत्रिक मतदान प्रक्रिया से किया जा सकेगा। यही पद्धति कार्यकारिणी सदस्या के चुनाव के लिए में ली जाएगी।
15. चुनाव से पूर्व समिति द्वारा सर्वसम्मति से एक निष्पक्ष व्यक्ति को ट्रस्टियों में से ही चुनाव अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।
16. ट्रस्ट को समाज विकास के कार्यों ट्रस्ट के निर्माण व्यवस्था के सभी कार्यों के लिए सामान्य ट्रस्टी रू. 11000/– अथवा उससे अधिक की राशि प्रदान कर ही ट्रस्टी बन सकेगा। वह ट्रस्टी धन्नावंशी स्वामी समाज से ही हो सकता हैं। अन्य किसी जाति का व्यक्ति ट्रस्टी बनने का अधिकारी नहीं होगा। तथा ट्रस्टी की श्रृद्धा धन्नाजी महाराज में गहंरी होनी चाहिए। ट्रस्टी जो उपरोक्त राशि ट्रस्ट में जमा कराएगा वह किसी भी सूरत में कभी भी वापस नही ले सकेगा। वह दान राशि होगी जो ट्रस्ट के कार्यों में खर्च होगी।
17. ट्रस्ट को छोटी से छोटी तथ बड़ी से बड़ी राशि ट्रस्ट कार्यों के लिए दान में लेने का अधिकार रहेगा। कोई धन्नावंशी दानदाता बडी राशि जिस निर्माण आदि उद्देश्यों से प्रदान करता हैं। तो ट्रस्ट कार्यकारिणी विचार कर दान दाता या उसके पारिवारिक जनों का नाम उक्त निर्माण पर शिलालेख के रूप में लगाने का अधिकारी होगा।
18. ट्रस्ट में अद्यावधि प्राप्त धनराशि का ब्यौरा जानने का अधिकार प्रत्येक ट्रस्टी हो रहेगा।
19. आवश्कता पडने पर धार्मिक अथवा पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम के अंतर्गत उक्त न्यास को पंजीबद्ध कराया जा सकता हैं। प्राप्त होने वाली धनराशि में आयकर की छूट के लिए आयकर अधिनियम 1961 के तहत छूट के लिए न्यास आवेदन कर सकेगा।
20. न्यास का कोई भी न्यासी न्यास के धन अथवा संपति का उपयोग व्याक्तिगत लाभार्थ नहीं कर सकेगा।
21. ट्रस्ट शिक्षण संस्थाएं मंदिर धर्मशाला भवन भोजनशालाएं महंतद्वारा पुस्तकालय व्यायामशाला आदि वस्तुओं का निर्माण करता हैं तो उक्त संस्था के अपने नियम उप नियम बनाए जा सकेंगे। और उनका पालन प्रत्येक ट्रस्टी एवं बाहरी व्यक्ति को करना होगा। निर्धारित शुल्क को जमा कराना होगा।
22. ट्रस्ट उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने वाले ट्रस्टी को ट्रस्ट की कार्यकारिणी 15–15 दिन के दो नोटिस देकर हटाने का अधिकार रखेगी। उसके विरोध व कानूनी कार्यवाई के कोई मायने नहीं होंगे। उसके द्वारा ट्रस्ट को प्रदत्त सदस्य राशि को भी लौटाया नहीं जा सकेगा।

3. किसी कारणवश न्यास भंग होने की स्थिति में न्यास की समस्त चल अचल संपति का हस्तांतरण सहधर्मी धन्नावंशी संस्था में हो सकेगा।

संरक्षक मंडल

इस ट्रस्ट में संरक्षक के 3 मानद पद होंगे। धन्नावंशी स्वामी समाज के प्रतिष्ठित वे व्यक्ति जो सामाजिक चेतना से संबलिए बौद्धिक तथा आध्यात्मिक समझ रखते हों तथा समाज में जिन की अग्रही भूमिका हैं ऐसे लोगों को संरक्षक के बतौर लिया जाएगा। संरक्षक लेने का अधिकार कार्यकारिणी को बहुमत से होगा। संरक्षक एक सम्मानित पद है उन्हें भी 3 वर्षीय अधिवेशन के दौरान मत प्रदान करने का अधिकार रहेगा। संरक्षक गण कभी अन्य किसी पद के लिए अपना नाम प्रस्तावित नहीं कर सकेंगे। क्योंकि उनका पद तो आजीवन एक सम्मानीय पद हैं। किसी संरक्षक की मृत्यु के उपरांत कार्यकारिणी अन्य योग्य व्यक्ति का उस रिक्त स्थान के लिए चयन कर सकती हैं। मृत्यु के उपरांत क्योंकि ट्रस्टी का पद रिक्त हो जाता है। इसलिए संरक्षक के उपरांत किसी नाते रिश्तेदार को इस पद पर नहीं लाया जा सकता ।

संरक्षक के अधिकार एवं कर्त्तव्य

1. संरक्षकों के समूह को संरक्षक मंडल कहा जाएगा। इन्हैं हर बैठक व अधिवेशन में मानद रूप से आमंत्रित किया जाएगा।
2. ट्रस्ट हित में किसी भी नीति निर्धारण में संरक्षक गण की उचित सलाह हो माना जाएगा।
3. संरक्षक एक बार बनने पर आजीवन बने रहने का अधिकारी होगा। संरक्षक गण को कार्यकारिणी में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा।

ट्रस्ट की बैठकें

1. ट्रस्ट प्रबंध मंडल अर्थात कार्यकारिणी की आवश्यकता होने पर वर्ष में कई बार बैठकें बुलाई जा सकेगी परंतु बैठक वर्ष में एक बार तो अवश्य होगी। बैठक की सूचना सभी ट्रस्टीयों को 15 दिवस पूर्व देनी होगी। बैठक बुलाने का अधिकार अध्यक्ष का होगा। बैठक में अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष की उपस्थिति आवश्यक होगी। किसी कारण से अध्यक्ष उपस्थित नहीं रह पाए तो उस दशा में सचिव व कोषाध्यक्ष का उपस्थित रहना आवश्यक होगा तथा अध्यक्ष के अभाव में उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के वर्ष भर के क्रियाकलापों का विवरण एवं आय व्यय का ब्यौरा सभी न्यासियों को दिया जाएगा । बैठक में निर्णय बहुमत या सर्वसम्मति से लिया जा सकेगा। समान मत प्राप्त होने पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम माना जाएगा।
2. पूर्व बैठक के निर्णयों की पुष्टि अगली बैठक में करवाई जाएगी।

हम उपरोक्त न्यासियों ने यह प्रन्यास अभिलेख बनाकर ट्रस्ट को पंजीकृत करवाने हेतु दिनॉक को प्रस्तुत कर दिया हैं। यह विलेख निम्न साक्षी गण की उपस्थिति में प्रस्तुत किया गया हैं।

साक्षीगण

1. श्री पदमाराम पुत्र श्री तुलसीदास जाति स्वामी उम्र 52 वर्ष निवासी 95 चन्द्र नगर नागौर
2. श्री सुरेश दास पुत्र श्री भंवरदास जाति स्वामी उम्र 25 वर्ष निवासी गांव झटेरा नागौर

न्यासीगण

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	पद	व्यवसाय	पता
1	श्री सुभाष चंन्द्र	श्री लक्ष्मणराम	59	अध्यक्ष	नौकरी	गुढा गौडजीगुढा बावनीझूंन्झुनू
2	श्री कृष्ण गोपालवैष्णव	श्री जेठादास	53	उपाध्यक्ष	नौकरी	शास्त्री नगर जोधपुर
3	श्री गुलाबदास	श्री शंकरदास	54	उपाध्यक्ष	प्रोपर्टी	मधुबन हाउसिंग बोर्डजोधपुर
4	श्री अर्जुनदास	श्री चूनदास	55	उपाध्यक्ष	व्यवसाय	हरीयासर चुरू
5	श्री राधेश्याम गोदारा	श्रीपुरखादास	50	सचिव	नौकरी	चंन्द्र नगर संजय कॉलोनी नागौर
6	डॉघनश्याम दास	श्री लक्ष्मीनारायण	60	कोषाध्यक्ष	सेनि. डॉक्टर	नोखा मंडी बीकानेर
7	श्री भरत कुमार रलिया	श्री नरेन्द्र कुमार रलिया	48	सदस्य	नौकरी	जाखेरा डेगाना नागोर
8	श्री त्रिलोकदास	श्री मोहनदास	47	सदस्य	व्यवसाय	केशव नगर पालरोडजोधपुरं
9	श्री लक्ष्मण कुमार	श्री हनुमान दास	55	सदस्य	नौकरी	श्याम पुरी कालोनी कालवाड रोडझोटवारा जयपुर
10	श्री जयनारायण	श्री रूपदास	57	सदस्य	नौकरी	संगम नगर बासनीफेज1 जोधपुर
11	श्री गंगादास	श्री तुलसीदास	45	सदस्य	व्यवसाय	पालरूरलजोधपुर
12	श्री प्रेमदास	श्री भोलदास	63	सदस्य	व्यवसाय	खिंयाला नागौर
13	श्री सांवरमलस्वामी	श्री मालदास	57	सदस्य	नौकरी	जेएनवीकॉलोनी बीकानेर
14	श्री महावीर स्वामी	श्री गोपालदास	48	सदस्य	व्यवसाय	थावरिया बीकानेर
15	श्री बस्तीराम	श्री टीकमदास	50	सदस्य	व्यवसाय	गांधी कॉलोनी मेडता नागौर
16	श्री रघूवीर सिंह	श्री रामसुखदास	54	सदस्य	नौकरी	कलोरी चुरु
17	श्री नन्दकिशोर स्वामी	श्री आर.डी. स्वामी	50	सदस्य	व्यवसाय	रानीपाल सिक्किम
18	श्री सीतादास	श्री रूघदास	71	सदस्य	व्यवसाय	गुसांईसर बीकानेर

कार्यालय उप पंजीयक पंजीयन एवं मुद्रांक, नागौर

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रू 0 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रू 0 पर कमी पंजीयन शुल्क रू 0, सरचार्ज राशि 0 कुल रू 0 रसीद संख्या 202102099006424 दिनांक 14-06-2021 में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रू 0 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

उप पंजीयक, NAGAUR

202101099006249

Trust Where No Disposition of Property

Registration Endorsement

आज दिनांक 14/06/2021 को
पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 29 में
पृष्ठ संख्या 141 क्रम संख्या 202103099400075 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 41 के
पृष्ठ संख्या 628 से 646 पर चस्पा किया गया।

उप पंजीयक, NAGAUR

202101099006249

Trust Where No Disposition of Property

कार्यालय उप पंजीयक * पंजीयन एवं मुद्रांक, नागौर *